



भाकृअप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर-243122 (उ.प्र.) भारत
ICAR-INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE
IZATNAGAR-243122 (U.P.) INDIA



पत्रांक: 9-7/2020-हिन्दी

दिनांक: 13 मई, 2020

परिपत्र

विषय:- सरकारी कामकाज मूलरूप से हिन्दी में करने को बढ़ावा देने सम्बन्धी वर्ष 2020-2021 प्रोत्साहन योजना (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) |

सरकारी कामकाज मूलरूप से हिन्दी में करने को बढ़ावा देने एवं वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना कार्य राजभाषा में करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय (भारत सरकार) ने अपने दिनांक 16-02-1988 के कार्यालय- ज्ञापन संख्या/11/12013/3/87-रा0भा0 (क-2) द्वारा एक प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की थी। राजभाषा विभाग द्वारा प्रस्तावित एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संस्तुत यह प्रोत्साहन योजना विगत वर्षों की भांति वर्ष 2020-2021 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) में भी लागू की जा रही है। इस योजना में सभी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं (वर्ग "घ" को छोड़कर) जो अपना सरकारी कामकाज पूर्णतया या कुछ हद तक मूलरूप से हिन्दी में करते हैं। केवल वे ही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो वर्ष में कम से कम 20,000 (बीस हजार) शब्द हिन्दी में लिखेंगे। इस मूल टिप्पण, प्रारूप के अतिरिक्त हिन्दी में किये गये अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे-रजिस्ट्रों में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि शामिल किये जाएंगे।


प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किये गये सरकारी कामकाज के आधार पर राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय (भारत सरकार) के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के का0ज्ञा0सं0: II/12013/01/2011-रा0भा0 (नीति/के0अनु0ब्यूरो) के अनुसार निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाएंगे:-

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार) | प्रत्येक रू0: 5000/- |
| 2. द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार) | प्रत्येक रू0: 3000/- |
| 3. तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार) | प्रत्येक रू0: 2000/- |

प्रतिभागी कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिन्दी में किये गये कार्य की मात्रा एवं 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए निर्धारित होंगे। जिन कर्मचारियों की भाषा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया या असमिया होगी उन्हें 20 अंक तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा।

अतः संस्थान में कार्यरत सभी वैज्ञानिकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वर्ष 2020-2021 की प्रोत्साहन योजना में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर इस योजना का लाभ उठाएं। प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपना आवेदन पत्र द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित करके राजभाषा अनुभाग में अपना नाम इस योजना हेतु पंजीकृत करा लें। योजना में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को तिमाही के आधार पर मूलरूप से हिन्दी में किये गये सरकारी कार्यों की संक्षिप्त रिपोर्ट शब्दों की संख्या सहित राजभाषा अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी। तिमाही में अंकित शब्दों की संख्या प्रतिभागी अधिकारी/कर्मचारी के विभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिभागी कर्मचारियों को एक रजिस्टर में हिन्दी में किये गये कार्यों का विवरण भी शब्दों की संख्या सहित रखना होगा। प्रत्येक सप्ताह के अन्त में रजिस्टर में अंकित विवरण को अपने विभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी द्वारा सत्यापित कराना होगा। प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-2021 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) की अवधि की समाप्ति पर निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अनुमोदन से गठित मूल्यांकन समिति प्रतिभागी कर्मचारी हिन्दी में किये गये कार्यों के विवरण के रजिस्टर का भी अवलोकन करेगी। कृपया पंजीकरण करने हेतु पत्र व कार्यविवरण भेजने हेतु राजभाषा अनुभाग के ई-मेल आई.डी. www.hindicellivri@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।



सहायक प्रशासनिक अधिकारी
राजभाषा अनुभाग

वितरण:-

1. निदेशक, भाकृअनुप.-भा.प.चि.अ.सं., इज्जतनगर को सूचनार्थ ।
2. समस्तसंयुक्त निदेशक/वित्त नियंत्रक/विभागाध्यक्ष/प्रभारीअधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/परियोजना समन्वयक, भाकृअनुप.-भा.प.चि.अ.सं., इज्जतनगर ।
3. समस्त क्षेत्रीय परिसर/केन्द्र: मुक्तेश्वर, बंगलूरु, कोलकाता, पालमपुर एवं पुणे आदि से अनुरोध है कि वे भी अपने यहां इस योजना को लागू करें।
4. प्रभारी, एरिस सेल, भाकृअनुप.-भा.प.चि.अ.सं., इज्जतनगर से अनुरोध है कि इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।

कार्यालय प्रति
कंप्यू.